



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 629 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27

दिनांक: 30 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

शासनादेश संख्या-270/XII-3/2026/(E 64930) दिनांक 13 अप्रैल, 2026 के द्वारा U-Prepare परियोजना देहरादून एवं कुम्भ 2027 हरिद्वार के निर्माण कार्यों के सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके क्रम में पी0आई0यू0 देहरादून एवं हरिद्वार में अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की निम्नानुसार तैनाती की जाती है।

क्र0 सं0	अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री श्याम सुन्दर	प्रखण्ड देहरादून	पी0आई0यू0 हरिद्वार
2.	श्री बृजपाल	प्रखण्ड देहरादून	पी0आई0यू0 हरिद्वार
3.	श्री अमन सिंह	प्रखण्ड उत्तरकाशी	पी0आई0यू0 देहरादून
4.	श्री सुखदेव सिंह	प्रखण्ड उत्तरकाशी	पी0आई0यू0 देहरादून
5.	श्री अमित कुमार सैनी	प्रखण्ड पौड़ी	पी0आई0यू0 देहरादून
6.	श्री प्रदीप कुमार सैनी	प्रखण्ड कोटद्वार	पी0आई0यू0 हरिद्वार

उक्त के क्रम में एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी कार्मिक पी0आई0यू0 में अधिशासी अभियन्ताओं की तैनाती होने के उपरान्त योगदान करेंगे।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/उत्तरकाशी/पौड़ी/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पौड़ी/कोटद्वार।
- 8- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/उत्तरकाशी/पौड़ी/कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 630 / ग्राणि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2028-27

दिनांक: 30 जून, 2028

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड उत्तरकाशी में कार्यरत श्री सुखदेव सिंह, अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा पी0आई0यू0 देहरादून में योगदान करने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत कु0 रिकला, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (छः) के अनुसार किया जाता है।

यह आदेश श्री सुखदेव सिंह, अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा पी0आई0यू0 देहरादून में योगदान करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 8- कु0 रिकला, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 60 | / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री शैलेश सिंह रौतेला, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर) (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री शैलेश सिंह रौतेला, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर) (दुर्गम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/समर्पित खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर)।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/बागेश्वर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/बागेश्वर।
- 8- श्री शैलेश सिंह रौतेला, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 600 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्रीमती भारती राणा, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्रीमती भारती राणा, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/चमोली।
- 8- श्रीमती भारती राणा, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 599/ग्रा0नि0वि0/स्था0-स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री मुकेश चन्द रमोला, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री मुकेश चन्द रमोला, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9— दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10— स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11— यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/देहरादून।
- 5— जिलाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 6— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 7— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 8— श्री मुकेश चन्द रमोला, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी।
- 9— कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10— विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 598 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री अतुल नौटियाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्री अतुल नौटियाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 6- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/भिकियासैण/देहरादून।
- 9- श्री अतुल नौटियाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 11- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 597 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर) (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (छः) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर) (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/समर्पित खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर)।
- 5- जिलाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
- 8- श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, समर्पित खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर)।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 596 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 8- श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 595 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27

दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत कु0 स्नेहा चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (दुर्गम) से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- कु0 स्नेहा चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट।
- 6- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 9- कु0 स्नेहा चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 11- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 594 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/कोटद्वार।
- 8- श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 593 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्रीमती पूजा तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्रीमती पूजा तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (दुर्गम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधम सिंह नगर/देहरादून।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधम सिंह नगर/देहरादून।
- 8- श्रीमती पूजा तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 592 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री विजय सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री विजय सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत** निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/ऊधम सिंह नगर।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ऊधम सिंह नगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/ऊधम सिंह नगर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ऊधम सिंह नगर।
- 8- श्री विजय सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 591 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री रक्षित चौहान, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री रक्षित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/भिकियासैण/उत्तरकाशी।
- 8- श्री रक्षित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 590 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्रीमती सारिका, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्रीमती सारिका, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/ऊधम सिंह नगर।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/ऊधम सिंह नगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/ऊधम सिंह नगर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/ऊधम सिंह नगर।
- 8- श्रीमती सारिका, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 589 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राहुल चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्री राहुल चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।

- 10— स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11— यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

३०/-

प्र० मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/टिहरी।
- 5— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी।
- 6— मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी।
- 7— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/भिकियासैण/टिहरी।
- 8— श्री राहुल चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9— कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10— विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र० मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 588/ग्रा0नि0वि0/स्था0-स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री देवेन्द्र ओझा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) में शासनादेश संख्या-01/120994 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री देवेन्द्र ओझा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

80/-

प्र० मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 8- श्री देवेन्द्र ओझा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र० मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 587 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री अमर दीप, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अमर दीप, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazzukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/कोटद्वार/हरिद्वार।
- 8- श्री अमर दीप, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 586/ग्रा0नि0वि0/स्था0-स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री लछम सिंह बिष्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) में शासनादेश संख्या-01/120994 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री लछम सिंह बिष्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से **तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधम सिंह नगर।
- 8- श्री लछम सिंह बिष्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 585 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2- श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से ही की जायेगी।

3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।

6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 8- श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 584 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27

दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड हरिद्वार में श्री सुनील तोमर, अपर सहायक अभियन्ता के दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 को सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री नीरज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है। श्री नीरज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता दिनांक 01 नवम्बर, 2026 को प्रखण्ड हरिद्वार में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से प्रभावी होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- 8- श्री नीरज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 583 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री संदीप कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री संदीप कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगती परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
- 8- श्री संदीप कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 582 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27

दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड देहरादून में श्री नीरज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता के दिनांक 01 नवम्बर, 2026 को प्रखण्ड हरिद्वार में योगदान करने के उपरान्त रिक्त होन वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री सुधांशु बिजल्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (छः) के अनुसार किया जाता है।

श्री सुधांशु बिजल्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 01 नवम्बर, 2026 को प्रखण्ड देहरादून में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से प्रभावी होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, अल्मोड़ा/भिकियासैण/देहरादून।
- 8- श्री सुधांशु बिजल्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक: 581 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: 29 जून, 2026

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री संजीव कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री संजीव कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जुलाई, 2026 का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली (दुर्गम) से आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त वेतन के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से ही की जायेगी।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त उपरान्त केवल अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 तथा नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2026 होगी।
- 6- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अन्य लम्बित मामलों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यभार टिप्पणी तैयार कर हस्तान्तरित की जायेगी।

- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- यदि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि, सारणीय त्रुटि अथवा अन्य कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित **Google Form Link:- <https://forms.gle/sPEGYqUMpojazukz5>** के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/-

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, घनसाली/टिहरी/हरिद्वार।
- 8- श्री संजीव कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्र0 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।